File No. स0क0स्था0-01-क्षे0-04 / 2017-

Social Welfare Department Notification

4192-7-9-17

In exercise of the powers conferred by the proviso of Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Child Development Services (Recruitment and service conditions) Rules 2015 under control of Department of Social Welfare :-

- 1. Short title, extent and commencement
 - (1) These Rules may be called "The Bihar Child Development Services (Recruitment and service conditions) (Amendment) rule 2017".
 - (2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.
 - (3) It shall come into force at once.
- 2. Rule 6 of Chapter II of the Rules, 2015 shall be substituted by following :-
- 6. Procedure of recruitment by promotion from subordinate service . -
 - (1) Lady Officers working regularly and confirmed to the posts of Lady Supervisor in the subordinate service will be appointed by promotion to the basic cadre of this service on the basis of seniority-cum-eligibility.
 - (2) It will be compulsory for the employees appointed to the posts of lady supervisors by promotion to complete the Kalawadhi determined by the General Administration Department. In this period his/her conduct and service
 - has been continuous and satisfactory.
 - (3) Departmental Promotion Committee shall be constituted by the Department for the appointment by promotion.
 - (4) For the recruitment by the promotion, all the Provisions related to the constitution of the Departmental Promotion Committee and other issued by
 General Administration Department from time to time will be complied.
- 3. Para 18 of Chapter IV of Bihar Child Development Service Rule is replaced as following :-

''18. Redressal of difficulties/Doubts: - Power of removal of anomalies/doubts relating to the implementation of any of the provisions of these rules shall be vested in the State Government.

By Order of the Governor of Bihar (Sujata Chalana) Additional Secretary

01 101 17 01 10117

Memo No. स0क0स्था0-01-क्षे0-04/2017- 4/92 Patna, Dated :- 7-9.17Copy to :- E-gazette cell, Finance Deptt. Govt. of Bihar, Patna with C.D and Hard Copy for publication in Bihar Offical Gazette.

Additional Secretary

Memo No. सoकoस्थाo-o1-क्षेo-o4/2017- ५१९२ Patna, Dated :- २०९०७२ Copy to :- Member Board of Revenue/All Principal Secretary/ Secretary/Secretary, Bihar Public Service Commission, Patna/ Secretary, Bihar Staff Selection Commission, Bihar, Patna for information.

Additional Secretary

Memo No. स०क०स्था०-01-क्षे०-04/2017- भूभे 92 Patna, Dated :- निर्मार्ग Copy to :- Accountant General (Accounts & Entitlement) Bihar, Patna / Officer in charge, Finance (Personal grievance fixation cell) Department, Bihar, Patna / All Divisional Commissioner/ All District Magistrate/ Director, ICDS/ Social Welfare/ Social Security & Disability/ All DPOs for information & necessary action.



Additional Secretary

Memo No. सoकoस्था0-01-क्षे0-04/2017- 4/92 Patna, Dated :- 7.9.17Copy to :- Private Secretary to Minister, Deptt. Of Social Welfare/ Principal Private Secretary to Departmental Principal Secretary and All Departmental Officers for information.

Additional Secretary



बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या ≔ स0क0स्था0–01–क्षे0–04/2017 –– ५१९२ पटना, दिनांक ≔ 7-9-17 भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परंतुक द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा समाज कल्याण विभाग के नियंत्राधीन बिहार बाल विकास सेवा (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2015 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :—

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवम् प्रारम्भः यह नियमावली ''बिहार बाल विकास सेवा (भर्त्ती एवं सेवा शत्ती) (संशोधन) नियमावली 2017'' कही जा सकेगी।
 - इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (ii)
 - यह नियमावली तुरन्त प्रवृत होगी। (iii)
- 2. बिहार बाल विकास सेवा नियमावली के अध्याय– 11 के कड़िका 6 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है :--
- अधीनस्थ सेवा से प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया :--6.
 - अधीनस्थ सेवा में नियमित रूप से नियुक्त महिला पर्यवेक्षिका पद पर, सेवा में कार्यरत एवम् (1)सम्पुष्ट महिला पदाधिकारियों की वरीयता-सह-पात्रता के आधार पर इस सेवा की मूल कोटि में प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की जाऐगी।

 - प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु कर्मियों को महिला पर्यवेक्षिका (नियमित) के पद पर, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अवधारित कालावधि पूर्ण करना तथा निरंतर एवम् संतोषप्रद सेवा आवश्यक होगी।
 - प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु, विभागीय प्रोन्नति समिति विभाग द्वारा गठित की जाएगी। (3)
 - प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय—समय पर निर्गत प्रोन्नति (4)समिति के गठन तथा अन्य सम्बन्धित प्रावधानों का पालन किया जायेगा।
 - 3. बिहार बाल विकास सेवा नियमावली के अध्याय–IV में कंड़िका–18 को नि-नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :---
- कठिनाइयों / शंकाओं का निराकरण इस नियमावली के प्रावधानों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित ″18, विसंगतियों / शंकाओं के निराकरण की शक्ति राज्य सरकार में निहित होगी।

बिहार राज्यप्राल के आदेश से

(सुजाता चलाना) सरकार के अपर सचिव,

61/11/17 QC. Q. M. 9/19/17

U192 पटना, दिनांक 7.9.17 ज्ञापांक : स0क0स्था0—01—क्षे0—04 / 2017 प्रतिलिपि :– ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को सी0डी0 एवं हार्द्ध कॉपी सहित बिहार राजपत्र (hicza.) के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। सरकार के अपर सचिव. समाज कल्याण विभाग। ज्ञापांकः स0क0स्था0–01–क्षे0–04/2017 ५१९१२ पटना, दिनांक 7.9.17-प्रतिलिपि :– सदस्य, राजस्व प्रर्षद⁄सभी विभागीय प्रधान सचिव⁄सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना / सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार पटना को सूचनार्थ, प्रेषित। UCza.M सरकार के अपर सचिव. समाज कल्याण विभाग। ज्ञापांकः स0क0स्था0-01-क्षे0-04/2017 ५११९२ पटना, दिनांक 7.9.17 प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं ह0) बिहार पटना ⁄ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, आई0सी0डी0एस0 बिहार पटना/निदेशक, समाज कल्याण, बिहार पटना/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय, बिहार पटना / निर्देशक, समाज परपाल, परपाल, प्रत्या के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित (पटना / सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ()

सरकार के अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग। ज्ञापांक : स0क0स्था0–01–क्षे0–04/2017 प192 पटना, दिनांक 7-0.17 प्रतिलिपि :- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

> सरकार के अप सचिव, समाज कल्याण विभाग।

Gr 19/17 Gr 19/17